

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- 1632 / FP/UK/ROAD/43777/2020 देहरादून: दिनांक: 11 दिसम्बर, 2020

सेवा में,

अपर सचिव,  
वन अनुभाग—3,  
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 5.00 किमी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.89 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

(Online proposal no- FP/UK/ROAD/43777/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोनिविं, बेरीनाग, पिथौरागढ़ द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 1.89 है 0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है। उक्त परियोजना के ऑनलाइन भरे गये पार्ट-II में अंकित की गई सूचना के अनुसार वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 5 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

अतः प्रस्ताव के प्रपत्र भाग—I से भाग—III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग—IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,  
रमेश शर्मा 11/12/20  
(डी0जे0के0 शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / FP/UK/ROAD/43777/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर—मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट I से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद—पिथौरागढ़।
6. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
7. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोनिविं, बेरीनाग, पिथौरागढ़।

डी0जे0के0 शर्मा  
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

## भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः— जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 5.00 कि०मी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.89 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

**(Online proposal no- FP/UK/ROAD/43777/2020)**

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 5.00 कि०मी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.89 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में 0.72 है० आरक्षित वन भूमि एवं 1.17 है० सिविल सोयम भूमि अर्थात् कुल 1.89 है० वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद-पिथौरागढ़/प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नहीं है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है।

नाम व पदनामः:  
हस्ताक्षरः:

(डी०जे०क० शर्मा)  
अपर प्रमुख (D. J. K. Sharma) वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
APCCF & NODAL OFFICER (FC)  
(UTTARAKHAND, DEHRADUN)

सरकारी मोहरः

तिथि : ११ / १२ / २०२०

स्थान : देहरादून